फा.सं.ई.15011/1/2011-रा.भा.
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
***

नई दिल्ली, दिनांक : 23 मई, 2011

सेवा में,

सुरक्षा आयुक्त,
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो,
अ-खंड, जनपथ भवन, जनपथ,
नई दिल्ली.

विषय : सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण और संपर्क कार्यक्रम। .....

महोदय,

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी तथा उनके सहयोगी श्री नरेश चन्द्र चौरसिया, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा आपके कार्यालय का दिनांक 13 मई, 2011 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया तथा इस अवसर पर अपर सुरक्षा आयुक्त श्री आर.एन.ढोके, उपनिदेशक श्री एस.एस.मोदी, ए.सी.एस. श्री एम.टी.बेग, अनुभाग अधिकारी श्री राजेश मौर्य, सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विजय सिंह मीणा और प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग, डिविजन-1, पास अनुभाग तथा आर एंड आई अनुभाग में कार्यरत कार्मिकों के साथ राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदु उभरकर आए :-

(1) कार्यालय में कुल 72 कम्प्यूटर हैं जिनमें से केवल सात कम्प्यूटरों पर द्विभाषी कार्य करने की सुविधा है। अतः शेष बचे 65 कम्प्यूटरों पर भी द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित है।

(2) कृपया वेबसाइट को द्विभाषी कराने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

(3) उपलब्ध कराई गई निरीक्षण प्रश्नावली के अनुसार गत छः माह में कुल 1902 पत्र जारी हुए हैं जिनमें से हिन्दी में 1489 पत्र जारी हुए हैं जोकि लगभग कुल पत्रों का 80% है, किंतु अनुभागों में इन आंकड़ों के संबंध में कोई समुचित रिकार्ड नहीं रखा गया है। अतः सुझाव दिया गया कि कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) सभी अनुभागों का राजभाषा की दृष्टि से समग्र निरीक्षण करें।

(4) ऐसा देखने में आया है कि पिछले काफी समय से आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि ये बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रुप से की जानी चाहिए और इनमें राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में सार्थक चर्चा की जानी चाहिए।

(5) कार्यालय में रखे गए रजिस्टरों और फाइलों के शीर्षक पूरी तरह से द्विभाषी रुप में लिख हुए नहीं पाए गए। कार्यालय में उपलब्ध सेवा पंजियों में अंग्रेजी की मोहरों का प्रयोग पाया गया, जबकि सेवा पंजियों में अधिकांश प्रविष्टियां हिन्दी में मोहरें बनवाकर आसानी से की जा सकती हैं।

(6) नियम 8 (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्मिकों की समीक्षा समय-समय पर की जाए, क्योंकि कर्मचारियों का स्थानांतरण होता रहता है।

(7) कृपया जांच बिंदुओं को ठीक प्रकार से परिचालित किया जाए। इस संबंध में एक नमूना भी सहायक निदेशक (राजभाषा) को दिखाया गया था।

(8) अभी भी कुछ मोहरें अंग्रेजी की प्रयोग हो रही हैं। कृपया उनका प्रयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। द्विभाषी/रबड़ की मोहरों का प्रयोग अपेक्षित है।

(9) रोकड़ अनुभाग में पाया गया कि हिन्दी में काफी काम हो रहा है किंतु वेतन बिल, अनुसूचियां, रोकड़ बही आदि अभी केवल अंग्रेजी में ही हैं, जिन्हें आसानी से हिन्दी में किया जा सकता है।

कृपया उपर्युक्त के संबंध में की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

23/5/11

(टेक चंद मंगला)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि : फा.सं.ई.11013/8/2011-रा.भा.